अध्याय-3: मॉड्यूलों पर अभ्युक्तियां

एसीईएस ने निम्नलिखित मॉड्यूलों में मुख्य प्रक्रियाओं को स्वचालित किया है:-

1. प्रयोक्ताओं का एक्सेस नियंत्रण (एसीएल) इस मॉड्यूल को विभागीय प्रयोक्ताओं को एक्सेस उपलबध कराने के लिए मुख्यत: कमिश्नरी प्रशासन द्वारा प्रचालित किया जाता है।
2. पंजीकरण (आरईजी): ऑनलाइन मोड के माध्यम से निर्धारितियों का पंजीकरण।
3. विवरणियां (आरईटी): विवरणियों की इलैक्ट्रोनकि रूप से फाइलिंग।
4. प्रतिदाय (आरईएफ): प्रतिदाय दावों की इलेक्ट्रानिक रूप से फाइलिंग और उनका संसाधन।
5. अनंतिम निर्धारण (पीआरए): अनंतिम निर्धारण के लिए आवेदन की इलेक्ट्रोनिक रूप से फाईलिंग और विभागीय अधिकारियों द्वारा इसका संसाधन।
6. विवाद समाधान प्रस्ताव (डीएसआर): कारण बताओ ज्ञापन, व्यक्तिगत सुनवाई ज्ञापन, अधिनिर्णयन आदेश, अपीलीय एवं संबंधित प्रक्रियाएं।
7. लेखापरीक्षा मॉडयूल (एयूडी) :यह मॉड्यूल विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली का प्रबंध करता है।
8. रिपोर्ट मॉड्यूल (आरईपी): रिपोर्टों के सृजन हेतु
9. निर्यात मॉड्यूल (इएकसपी): निर्यात संबंधित दस्तावेजों के संसाधन हेतु।
10. दावा पत्र एवं सूचनाएं (सीएलआई): निर्धारितियों द्वारा दावों, सूचनाओं और अनुमतियों की इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाईलिंग और विभागीय अधिकारियों द्वारा उनका संसाधन करना।

अलग-अलग मॉड्यूलों से संबंधित अभ्युक्तियों पर निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है:-

3.1 एक्सेस नियंत्रण लॉजिक

विभागीय प्रयोक्ता डीजी (सिस्टम) द्वारा जारी की गई एसएसओआईडी नामक एकल प्रयोक्ता आईडी के माध्यम से एसीईएस अनुप्रयोग को एक्सेस करते हैं। यह एसएसओआईडी प्रत्येक अधिकारी के संबंध में विभाग में उसके करियर के दौरान एक ही रहती है। प्रत्येक कमिश्नरी में कमिश्नरी प्रशासन (कमि. प्रशा.) का सृजन डीजी (सिस्टमस) में मुख्यालय प्रशासक द्वारा किया जाता है। एसीएल मॉड्यूल को मुख्यत: कमि. प्रशा. द्वारा प्रचालित किया जाता है जो एसीएल मॉड्यूल के माध्यम से विभागीय प्रयोक्ताओं को सक्रिय करते हैं और एसीईएस में केन्द्रीय रूप से जिम्मेदारियां और अधिकार क्षेत्र सौंपते हैं। एसएसओआईडी के वास्तविक कार्य का प्रबंध सिस्टम इटीग्रेटर (एसआई)[5] द्वारा किया जाता है जिससे मौजूदा कमिश्नरी से बाहर स्थानातरण /पदोन्नति /नई नियुक्ति के मामले में भूमिका के साथ एसएसओआईडीज की मैपिंग के लिए चेंज आवेदन और चेंज का अनुमोदन करना अपेक्षित है।

एसीएल मॉड्यूल सिस्टम भूमिकाओं के साथ विभाग के वास्तविक कार्यबल की इंटरफेसिंग उपलब्ध कराती है और एसीईएस में विभागीय प्रयोक्ताओं द्वारा पूरा किए जाने वाले कार्यों की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस मॉड्यूल की कार्यप्रणाली की सक्रियता की स्थिति को और विभागीय प्रयोक्ताओं (एसएसओआईडी) को भूमिका/कार्य देने को सुनिश्चित करने के लिए चयनित सीडीआरज और डीजी (सिस्टम) में जांच की गई थी। जांच के दौरान निम्नलिखित डिजाइन अवरोधक देखे गए थे:-

3.1.1 एसएसओआईडी को सक्रिय करना

विभाग में जॉइनिंग के समय पर सक्रिय करने में लगे समय को जानने के लिए हमने चयनित सीडीआरज से एसएसओआईडीज को सक्रिय करने में लगे समय से संबंधित विवरण भेजने का अनुरोध किया। उत्तर के आधार पर निम्नलिखित आपत्तियां की गई है:-

नये/विद्यमान विभागीय प्रयोक्ता के लिए एसएसओआईडी को सक्रिय करने तथा मैपिंग के लिए बोर्ड द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

छह कमिश्नरियों[6] द्वारा एसएसओआईडीज को सक्रिय करने संबंधी सूचना भेजी गई थी तथा हमने पाया कि इनमें से चार कमीश्नरियों ने एसएसओआईडीज को सक्रिय करने तथा विभागीय प्रयोक्ताओं को भूमिका/गतिविधि का आबंटन करने में 7 से 935 के मध्य दिन लगे।

बारह[7] कमिश्नरियों ने बताया (सितम्बर 2014 तथा मार्च 2015 के मध्य) कि एसीईएस से इसको सृजित/प्राप्त नहीं किया जा सकता है। शेष 22 कमिश्नरियों ने या तो अधूरी सूचना उपलब्ध कराई या डाटा उपलब्ध ही नहीं कराया।

इन कमिश्नरियों का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त छह कमिश्नरियों ने यही सूचना उपलब्ध कराई है।

जब हमने यह बताया (अगस्त 2015) तो मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2015) कि जब एक अधिकारी का स्थानान्तरण एक कमीश्नरी से दूसरी में होता है, तो संबंधित कमि. प्रशा. के निर्धारित नमूने में अनुरोध पर एसआई दल द्वारा मैपिंग में परिवर्तन किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह बताया गया कि विलम्ब प्रणाली संबंधी प्रक्रियाओं में किसी कमी के कारण नहीं, अपितु अधिकतर इस तथ्य के कारण है कि कमि. प्रशा. कार्यकारी आवश्यकता के आधार पर अधिकारियों की मैपिंग हेतु अनुरोध भेजता है, जो पुन: कमिश्नरी में अधिकारी को आबंटित कार्य-प्रभार पर निर्भर है। उपरोक्त 12 कमिश्नरियों द्वारा एसीईएस में इस सूचना को आनयन न करने पर मंत्रालय का उत्तर मौन है।

लेखापरीक्षा का विचार है कि लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाए गए विलम्ब के अलग-अलग मामलों की जांच किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, 33 कमिश्नरियों में हुए विलम्बों, यदि कोई हो, का आकलन करने के लिए भी इन कमिश्नरियों द्वारा डाटा प्रस्तुत न करने/अधूरी सूचना प्रस्तुत करने की जांच की आवश्यकता है।

---

[6] भुवनेश्वर-।।, कोयम्बटूर, कोलकाता-।, पुदुचेरी, रॉची और बडोदरा-।।

[7] अहमदाबाद (एसटी), इलाहाबाद, दिल्ली (एलटीयू), दिल्ली-।। (सीएक्स), हैदराबाद-।।, हैदराबाद-IV, इंदौर, जयपुर-।, कानपुर, पटना, रायपुर और विशाखापट्टनम-।

3.1.2 एसएसओआईडीज का निष्क्रियकरण

सेवानिवृत्ति, स्थानान्तरण, निलम्बन, बरखास्तगी के कारण कमिश्नरियों द्वारा एसएसओआईडी के निष्क्रियकरण में लिया गया समय जानने के लिए, हमने चयनित सीडीआरज से एसएसओआईडीज के निष्क्रियकरण में लिए गए समय से संबंधित विवरण भेजने का अनुरोध किया। उत्तर के आधार पर निम्नलिखित आपत्तियां की गई हैं:-

तीन कमिश्नरियों[8] द्वारा एसएसओआईडीज के निष्क्रियकरण पर सूचना भेजी गई थी। इन तीन में से, दो कमिश्नरियों में हमने देखा कि उन्होंने सेवानिवृत्ति, स्थानान्तरण, निलम्बन, बरखास्तगी के कारण एसएसओआईडीज के निष्क्रियकरण के लिए एक मामले में 92 दिनों के अधिकतम विलम्ब के साथ 30 प्रतिशत मामलों में 2 दिनों से अधिक समय लिया था। सेवानिवृत्ति, स्थानान्तरण, निलम्बन तथा बरखास्तगी के बाद एसएसओआईडी के दुरूपयोग को नकारा नहीं जा सकता है।

सोलह कमिश्नरियों[9] ने बताया (सितम्बर 2014 से मार्च 2015 के बीच) कि यह सूचना एसीईएस के सृजित/प्राप्त नहीं की जा सकती। शेष 21 कमिश्नरियों ने या तो आंशिक रूप से सूचना उपलब्ध कराई थी या कोई डाटा ही प्रस्तुत नहीं किया था।

इन कमिश्नरियों का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त तीन कमीश्नरियों ने यही सूचना उपलब्ध कराई है।

जब हमने यह बताया (अक्तूबर 2014) तो मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2015) कि जन्मतिथि/सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर, अधिकारी, उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात, प्रणाली से स्वत: ही निष्क्रिय हो जाता है। इसके अतिरिक्त अधिकारी को सेवा से निलम्बित/हटाये जाने की स्थिति में, अधिकारी की मैपिंग सम्बन्धित कमिश्नरी के साथ जारी रहेगी, परन्तु कमि.

---

[8] भूवनेश्वर-।।, गोवाहाटी और कोलकाता-।

[9] इलाहाबाद, चण्डीगढ-।, चेन्नै-। (एसटी), दिल्ली-।। (सीएक्स), दिल्ली (एलटीयू), हैदराबाद-।।, हैदराबाद-IV, इंदौर, जयपुर-।, कानपुर, कोचीन, लुधियाना, पटना, पुदुचेरी, रोहतक और विशाखापट्टनम-।

प्रशा. उस अधिकारी को आरंभ में दी गई भूमिका को निष्क्रिय कर देगा, तथा अधिकारी किसी दस्तावेज देख/संसाधित नहीं कर सकता है। मंत्रालय का उत्तर उपरोक्त 16 कमिश्नरियों द्वारा एसीईएस से सूचना सृजित न किए जाने पर मौन है। इसके अतिरिक्त 37 कमिश्नरियों में हुए विलम्ब, यदि कोई है, का आकलन करने के लिए इन कमिश्नरियों द्वारा डाटा प्रस्तुत न करने/अधूरी सूचना प्रस्तुत करने की जांच किए जाने की आवश्यकता है।

3.1.3 कार्य/गतिविधि का आवंटन

हमने चयनित सीडीआरज से विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों में तैनात तथा एसीईएस में कार्य हेतु मैपिंग एसएसओआईडी वाले स्टाफ के बारे में पूछताछ की। हमारी पूछताछ की प्रतिक्रिया में, पांच कमिश्नरियों[10] ने उत्तर दिया (सितम्बर 2014 एवं मार्च 2015 के बीच) कि एसएसओआईडी वाले सभी हकदार अधिकारियों को कार्य/गतिविधि सौंपने के वर्षवार विवरण सर्जित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तेरह कमिश्नरियों[11] ने सूचित किया (सितम्बर 2014 एवं मार्च 2015 के बीच) कि विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों में तैनात एसएसओआईडीज वाले स्टाफ को एसीईएस में, जब भी आवश्यकता हो, कार्य हेतु मैपिंग किया जाता है। शेष 22 कमिश्नरियों ने अधूरी सूचना उपलब्ध कराई थी अथवा कोई सूचना उपलबध नहीं कराई थी।

जब हमने यह बताया (अगस्त 2014), तो मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2015) कि सभी एसएसओआईडीज को अधिकार क्षेत्र में मैपिंग किया गया था तथा भूमिका की वास्तविक मैपिंग क्षेत्रीय स्तर पर निर्णित एक आवश्यकता आधारित प्रक्रिया है।

क्षेत्रीय स्तर पर मैपिंग के बारे में सूचना के अभाव में, लेखापरीक्षा यह टिप्पणी करने में अक्षम है कि क्या सभी हकदार अधिकारियों को कार्य/गतिविधि सौंपी गई एवं मैपिंग किया गया था।

3.1.4 निष्कर्ष

---

[10] दिल्ली-।। (सीएक्स), दिल्ली (एलटीयू), हैदराबाद-।।, हैदराबाद-IV और जयपुर-।

[11] इलाहाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर-।।, चेन्नै (एलटीयू), कोयम्बटूर, गोवाहाटी, इंदौर, कोलकाता-।, कानपुर, पटना, पुदुचेरी, रॉची और विशाखापट्टनम-।

उपरोक्त आपत्तियों के मद्देनज, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सक्रियकरण तथा निष्क्रियकरण में विलम्ब से बचने के लिए एसीईएस मॉड्यूल को ठीक करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, यह संचालन के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को बाहरी एजेन्सी अर्थात प्रणाली इन्टीग्रेटे के नियंत्रण में छोड़ देता है।

3.2 पंजीकरण (आरईजी)

एक आवेदक इंटरनेट के माध्यम से प्रणाली ने लाग आन कर सकता है तथा एक स्वयं चयनित प्रयोक्ता आईडी एवं ई-मेल आईडी प्रस्तुत करके प्रणाली में स्वयं को पंजीकृत करा सकता है। तब प्रणाली एक पासवर्ड सर्जित करेगी और इसे ई-मेल द्वारा उसे भेज देगी। प्रयोक्ता को पुन: लाग-ईन करना होता है तथा अपेक्षित प्रपत्र भरकर विभाग के साथ वैधानिक पंजीकरण के लिए आगे बढ़ना होता है। एसीईएस में पंजीकरण वैधानिक पंजीकरण नहीं है अपितु विभाग के अनुसार केवल प्रणाली के साथ पंजीकरण है। पंजीकरण मॉडयूल के माध्यम से नये निर्धारितियों, मौजूदा निर्धारितियों, एलटीयू निर्धारितियों और गैर –निर्धारितियों[12] का पंजीकरण किया जा सकता है।

एसीईएस के माध्यम से आवेदक द्वारा पंजीकरण के लिये आवेदन भरने के बाद, प्रणाली तत्काल पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) संख्या सृजित करेगी जिसके बाद पंजीकरण अनुरोध एसी/डीसी के पास जाता है। एजी/डीजी, आरसी निकालते हैं और इससे संबंधित संदेश इलैक्ट्रानिक रूप से निर्धारिती को भेज दिया जाता है। निर्धारिती द्वारा चयनित विकल्प के आधार पर, आरसी ई-मेल द्वारा भेजी जा सकती है या व्यक्तिगत रूप से एकत्रित की जा सकती है। फिर एसी/डीसी इकाई के भौतिक पुष्टिकरण (पीवी) हेतु यह रेंज अधिकारी (आरओ) को सौंपता है। आरओ संशोधन अथवा प्रमाण-पत्र निरस्तिकरण के आधार पर पंजीकरण पुष्टिकरण या प्रमाण-पत्र पुन:जारी कर पीवी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

---

[12] पंजीकृत निर्धारिती के अलावा व्यक्ति जैसे कि निर्यातक व्यापारी, व्यक्ति जो प्रतिदाय दावे फाइल करना चाहता है, विभाग प्रसंस्करण में सह-नोटिसी, व्यक्ति जिन्हें विभाग को कोई भी भुगतान करना अपेक्षित है गैर-निर्धारिती के रूप में स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं।

3.2.1 पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना

एसीईएस के प्रारंभ से प्राप्त आवेदनों और जारी आरसी की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया गया। यह देखा गया कि जून 2014 तक 14,28,917 आवेदन ऑनलाइन किये गये थे और 11,15,156 आरसी सीएक्स और एसटी दोनों के लिए जारी किये गये थे।

चार्ट 3

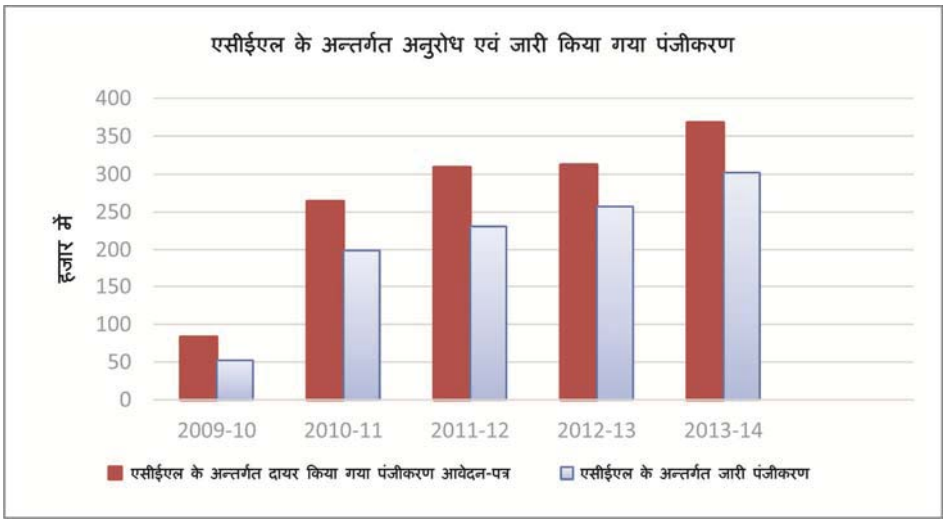

स्रोत: डीजी (सिस्टमस) द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

पिछले कुछ वर्षों में फाइल किये गये आवेदनों और जारी की गई आरसी में अंतर आरसी जारी करने में विलम्ब और ऑनलाइन भरे गये आवेदनों के निपटान करने में कमी की ओर इशारा करता है। अत: विभाग, आरईजी मॉड्यूल में आरसी जारी में विलम्ब के कारणों की पहचान कर सकता है तथा उन पर कार्यवाही कर सकता है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अक्तूबर 2015) में कहा कि 'व्यापार को सरल बनाने में सुधार' और प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए दोनों सीएक्स और एसटी निर्धारितियों के संबंध में एक द्वी-दिवसीय पंजीकरण' पद्धति शुरू की गई है और पीवी ने एक पंजीकरण पश्चात् प्रक्रिया बनाई है।

3.2.2 पंजीकरण जारी करने हेतु समय-सीमा

दिनांक 26 जून 2001 और 13 दिसम्बर 2011 की अधिसूचना के अनुसार, सीएक्स और एसटी हेतु पंजीकरण संख्या वाली आरसी क्रमश: पूर्ण किये गये आवेदन की प्राप्ति के सात दिनों के अंदर प्रदान की जायेगी।

निम्नलिखित तालिका पंजीकरण के संबंध में एसीईएस मॉड्यूल का निष्पादन दर्शाती है:-

तालिका संख्या 1

		पंजीकरण हेतु फाईल किये गये आवदनों की संख्या	जारी की गई आरसी की संख्या	आरसी जारी करने के लिये गये अधिकतम दिन	आरसी जारी करने के लिये गये औसत दिन
अखिल भारतीय डेटा	सीएक्स	1,33,317	1,26,475	1,587	15
	एसटी	12,73,762	9,81,991	1,466	14
	कुल	**14,07,079**	**11,08,466**		
चयनित सीडीआर का डेटा	सीएक्स	49,406	46,789	1,587	17
	एसटी	7,32,262	5,56,305	1,466	18
	कुल	**7,81,668**	**6,03,094**		

स्रोत: डीजी (सिस्टमस) द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा गया कि सीडीआर ने आरसी जारी करने के लिये क्रमश: सीई और एसटी में औसत 15 और दिन तथा 1 अधिकतम 1587 और 1466 दिन लिये। इसके अतिरिक्त चयनित कमिश्नरियों से निकाले गये उपरोक्त डेटा के विश्लेषण से पता चला कि डिवीजन/रेंज ने सात दिनों की निर्धारित समय सीमाके प्रतिकूल आरसी जारी करने के लिए क्रमश: सीएक्स और एसटी में औसत 17 और 18 दिन तथा अधिकतम 1587 और 1466 दिन लिये।

यद्यपि पंजीकरण के लिये आवेदन एसीईएस के माध्यम से प्राप्त हुये थे, आरसी जारी करने में असाधारण विलम्ब हुआ। लेखापरीक्षा की यह भी राय है कि कुछ निविदा प्रक्रियाओं में, मुख्य रूप से सरकारी आपूर्ति में चूंकि आरसी एक आवश्यक दस्तावेज है, ऐसे विलम्ब की जांच करनी आवश्यक है।

मामले को दिसम्बर 2014 में मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया था और उत्तर अभी प्रतीक्षित है (अक्तूबर 2015)।

सिफारिश संख्या 3

मंत्रालय द्वारा पंजीकरण प्रमाण-पत्र देने में विलम्ब को दूर करने के लिए दो दिनों में पंजीकरण देने के संकल्प केा मद्देनजर, लेखापरीक्षा सुझाव देती है कि भौतिक सत्यापन को शीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

3.3 रिटर्न (आरईटी)

प्रत्येक निर्धारिती विभाग द्वारा प्रस्तुत दो सुविधाओं में से एक के चयन द्वारा सीएक्स और एसटी रिटर्न इलैक्ट्रॉनिकली फाइल करेगा:

(क) ऑनलाइन फाइल करें, अथवा

(ख) ऑफ-लाइन रिटर्न उपयोगिताएं डाउनलोड करें, जो कि आराम से भरी जा सकती है और इंटरनेट द्वारा प्रणाली में अपलोड की जा सकती है, अथवा

अपलोडिंग के बाद, ऑफ लाइन रिटर्न एसीईएस की अंतर्निहित वैधीकरण के अधीन होती हैं और तब एसीइएस फाइल किए गए रिटर्नों की स्थिति दर्शाता है। उचित सुधार करने के बाद अस्वीकृत रिटर्न को पुन: प्रस्तुत किया जायेगा। सभी रिटर्नों को अंकीकृत और प्रणाली में संचित किया जायेगा। तब सॉफ्टवेयर, पंजीकरण संख्या (यह वैधीकरण केवल उन रिटर्नों के लिए है जो कि ऑफलाइन उपयोगिता द्वारा फाइल किए गए हैं) वर्गीकरण, अधिसूचना शुल्क की दर, शुल्क भुगतान के लिए प्रयुक्त चालान आदि जैसे सूचना की शुद्धता के लिए जांच करेगा। कोई त्रुटि जिसे प्रणाली द्वारा ठीक नहीं किया गया है को आरओ की स्क्रीन पर आरएनसी के लिए भेजा जाएगा।

रिटर्नों को बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर कम जोखिम मापदण्डों से गुजरना होता है और एसआरएस के अनुसार जोखिम पूर्ण या गैर-जोखिम पूर्ण चिन्हित किया जाता है। एसी/डीसी यह निर्धारित कर सकते हैं कि क्या आगे की कार्यविधि आरंभ करती है जैसे कि इकाई को लेखापरीक्षा या गैर-अपवंचन प्रक्रिया के अधीन करना है। संवीक्षा के परिणाम के तौर पर, यदि कोई भी अंतरीय शुल्क को विभाग द्वारा एकत्रित किया जाना है, तो प्रणाली डीएसआर मॉड्यूल द्वारा कारण बताओ नोटिस तैयार करने में अधिकारी को सहायता प्रदान करेगी।

3.3.1 एसएसआई के संदर्भ में एसआरएस दस्तावेज के अनुसार सॉफ्टवेयर का विकास

जैसाकि एसआरएस दस्तावेज में परिकल्पित है, जब भी एक लघु उद्योग (एसएसआई) निर्धारिती ईआर-3 रिटर्न फाइल करता है, प्रणाली निकासी के कुल मुल्य की गणना करता है और जब अगली रिटर्न आती है तो इस राशि को बढाता है। यदि एक वित्तीय वर्ष के दौरान निकासी का कुल योग ₹ चार करोड़ रूपये से अधिक होता है, निर्धारिती को अगले वित्तीय वर्ष से प्रभावी गैर-एसएसआई इकाई के तौर पर चिन्हित किया जाता है। नये वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से, निर्धारिती को यह स्मरण कराया जाता है कि उसने सीमारेखा पार कर दी है और यह कि उसे एक ईआर-1 रिटर्न फाइल करनी होगी। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि एसएसआई द्वारा सीमा रेखा प्राप्त करने की आवश्यकता मॉड्यूल में उपलब्ध नहीं थी।

कोचीन आयुक्तालय ने कहा कि कई अवसरों पर पिछले वर्ष के टर्न ओवर पर निर्भर करते हुए ईआर-3 रिटर्न फाइल करने वाले निर्धारिती ईआर-। रिटर्न फाइल करने वाले एवं विपरीत में परिवर्तित हो गये थे। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार के अंतरण के दौरान एसीईएस पिछली अवधि के लिए रिटर्न ढूटंने योग्य नहीं होगा क्योंकि सिस्टम उसी प्रकार के रिटर्न को ढूंढता रहेगा। उसी निर्धारिती के एसएसआई में या से अंतरण के मामले में प्रणाली को पिछली रिटर्न (रिटर्न के प्रकार पर ध्यान दिए बिना) को ढूंढना चाहिए।

जब हमने यह बताया (मार्च 2015), मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2015) कि निर्धारितीवार विस्तृत रिपोर्ट और इलैक्ट्रॉनिक वेयरहाउस डाटा को एक विशेष निर्धारिती के एसएसआई की माफी की स्वीकार्यता की जांच करने के लिए सह - संबंधित होने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा समझती है कि क्योंकि जैस कि उपरोक्त उल्लेखित विवरण एसीईएस में ईआर-3 में उपलब्ध है, सभी विवरणों को स्वयं एसीईएस में लाना बहुत आसान है और ईआर-3 से ईआर-1 में अंतरण या विपरीततया को अधिसूचित और एसीईएस में सह-संबंधित किया जा सकता है।

3.3.2 एसटी-3 प्रपत्र में विवाद समाधान का रूपांकन

एसटी रिटर्न की फाइलिंग से संबंधित एसआरएस दस्तावेज की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि लंबित प्रतिदाय मांग, एससीएनएस, पुष्टि मांग, बकाया के मामले आदि संबंधित फील्ड, एसटी-3 रिटर्न प्रपत्र में परिकल्पित किया गया था। तथापि, यह फील्ड एसीईएस अनुप्रणाली में उपलब्ध एसटी-3 प्रपत्र में नहीं पाई गई थी।

जब हमने यह बताया (मार्च 2015) तो मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2015) कि सीबीईसी द्वारा अधिसूचित एसटी-3 प्रपत्र प्रदान किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकृत नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने एसटी-3 रिटर्न के फॉमेट के परिवर्तन का सुझाव नहीं दिया था। एसटी-3 रिटर्न की प्राप्ति पर लंबित प्रतिदाय मांग, एससीएनएस, पुष्ट मांग आदि का विवरण एसीईएस में उपलब्ध डाटा से लिया जा सकता है जैसाकि एसआरएस दस्तावेज में परिकल्पित है।

मंत्रालय ने आगे कहा (नवम्बर 2015) कि जब एमआईएस बना लिया जाएगा तब इससे लंबित प्रतिदाय दावे, एससीएन, निश्चित मांग सृजित किए जा सकते हैं।

3.3.3 समीक्षा और सुधार के लिए रिटर्न का चयन

एक सरल प्रणाली के तौर पर, रिटर्न मॉड्यूल को केवल उन रिटर्न का चयन करने की आवश्यकता थी जहां पर मॉड्यूल द्वारा की गई प्रारंभिक संवीक्षा के दौरान कुछ त्रुटियां/विसंगतियां होती हैं।

निम्न तालिका अक्तूबर 2009 से जून 2014 के दौरान फाईल और समीक्षा की गई सीएक्स और एसटी रिटर्न के आरईटी मॉड्यूल के निष्पादन का वर्णन करती है:-

तालिका संख्या 2

शुल्क/कर	एसीईएस में फाइल की गई	आरएण्डसी के लिए चिन्हित रिटर्न	आरएनसी के लिए चिन्हित एवं 30 जून 2014 तक संवीक्षा के

	रिटर्न की संख्या		**लिए लम्बित रिटर्न**
सीएक्स	44,92,327	42,52,888 (94.67 प्रतिशत)	11,08,413 (26.06 प्रतिशत)
एसटी	55,04,165	29,56,738 (53.72 प्रतिशत)	21,80,164 (73.74 प्रतिशत)

स्रोत: डीजी (सिस्टमस) द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा गया है कि बहुत अधिक संख्या में रिटर्न्स (95 और 54 प्रतिशत) सीएक्स और एसटी दोनों के लिए आरएनसी चिन्हित किए जा रहे हैं। यह भी देखा गया है कि 31,44,475 (सीएक्स) और 7,76,574 (एसटी) रिटर्न्स आरएनसी में किए गए थे, इस प्रकार सीएक्स और एसटी के क्रमश: 26 और 74 प्रतिशत रिटर्न्स लंबित के रूप में चिन्हित करने से छूट गए।

निम्नलिखित तालिका चयनित सीडीआर में अक्तूबर 2009 से जून 2014 के दौरान फाइल किए गए और समीक्षा किए गए सीएक्स और एसटी रिटर्न्स के आरईटी मॉड्यूल का निष्पादन दर्शाती है:-

तालिका संख्या 3

शुल्क/कर	**एसीईएस में फाइल की गई रिटर्न की संख्या**	**आरएण्डसी के लिए चिन्हित रिटर्न**	**आरएनसी के लिए चिन्हित एवं 30 जून 2014 तक संवीक्षा के लिए लम्बित रिटर्न**
सीएक्स	16,36,255	15,33,541 (93.72 प्रतिशत)	4,53,178 (29.55 प्रतिशत)
एसटी	33,49,015	17,98,351 (53.70 प्रतिशत)	13,79,980 (76.74 प्रतिशत)

स्रोत: डीजी (सिस्टमस) द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

जैसाकि उपरोक्त दिखाया गया है बहुत अधिक आरएनसी के लम्बन के परिणामस्वरूप मामलों में समय का अभाव और राजस्व की आनुषंगिक हानि हुई।

लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रणाली ने छोटी सी त्रुटि के लिए भी रिटर्न को आरएनसी के लिए चिन्हित किया जो कि उचित/मजबू प्रमाणीकरण डालने पर प्रारंभिक रूप से ही जांची/हटाई जा सकती थी। लेखापरीक्षा ने आरएनसी के लिए बहुत अधिक रिटर्नों को चिन्हित करने के लिए निम्न कारण निर्धारित किए:-

(i) वर्तमान महीने का अथशेष पिछले महीने का अंत शेष होना चाहिए। किंतु एसीईएस में, अथशेष प्रविष्ट करने का विकल्प निर्धारिती को दिया गया है। इस लेखे में अथशेषों की गलत प्रविष्टि के कारण बहुत सी रिटर्न को आरएनसी के लिए चिन्हित किया गया।

जब हमने यह बताया (मार्च 2015) तब मंत्रालय ने आपत्ति पर सहमति के साथ कहा (अक्तूबर 2015) कि इसे परिशोधित किया जा रहा है।

(ii) निर्धारिती के लिए ब्याज देयता प्रविष्ट करने की सुविधा भी है जबकि सिस्टम में सिस्टम डाटाबेस के तहत उपलब्ध सूचना के आधार पर स्वत: ही ब्याज की गणना करने की क्षमता है। सिस्टम द्वारा गणित और निर्धारिती द्वारा प्रविष्ट ब्याज की बेमेलता के कारण ही रिटर्नों की बहुत बड़ी संख्या को आरएनसी के लिए चिन्हित किया गया।

जब हमने यह बताया (मार्च 2015) तब मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2015) कि एसीईएस में निर्धारिती द्वारा भुगतेय पूरे ब्याज की गणना का कोई प्रावधान नहीं है। चूंकि नियमित शुल्क भुगतानों में चूक न्यायिक फोरम से आदेशों के आधार पर बकाया का भुगतान आदि जैसी विभिन्न परिस्थितियों में ब्याज देयता उत्पन्न हो सकती है।

लेखापरीक्षा समझती है कि जबकि भुगतानों में चूक के कारण ब्याज की गणना एसीईएस द्वारा की जा सकती है, ब्याज के अन्य परिदृश्यों को डीएसआर मॉड्यूल को लिंक करके पकड़ा जा सकता है।

(iii) रिटर्न मॉड्यूल की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि रेंज अधीक्षक ने तिथिक्रम में आरएनसी के लिए चिन्हित सीएक्स रिटर्नों की संवीक्षा की थी। जब तक एसी/डीसी अपने सिस्टम में संवीक्षित रिटर्न को नहीं हटाता है, रेंज अधीक्षक आगे सीएक्स रिटर्न की संवीक्षा नहीं कर सकता। परिणामस्वरूप, जब तक पिछले माह की रिपोर्ट सभी संबंधित प्राधिकरणों द्वारा निपटाई/संवीक्षित /समीक्षा नहीं की जाती, अनुवर्ती महीनों के लिए रिटर्न भी संवीक्षा/समीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं होती है।

जब हमने यह बताया (दिसम्बर 2014) तब मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2015) कि आरएनसी पर समिति की संस्तुतियों के आधार पर, आरएनसी वर्कफ्लो से एसी/डीसी को अलग करना निर्धारित किया गया है और उसे कार्यान्वयन के लिए लिया जा रहा है।

तथापि, लेखापरीक्षा की आगे सलाह है कि जांच एवं शेष सुनिश्चित करने के लिए एसी/डीसी को अधीक्षक द्वारा समीक्षित रिटर्नों की यादृच्छिकता से नमूना जांच करने की आवश्यकता हो सकती है।

3.4 अनंतिम निर्धारण (पीआरए)

यदि स्वत: निर्धारण संभव नहीं है तो अनंतिम निर्धारिती अंनतिम निर्धारणके अनुरोध के लिए एसीईएस में उपलब्ध सुविधा का प्रयोग कर सकता है। इसके अतिरिक्त निर्धारिती अनंतिम निर्धारण के विस्तार के अनुरोध भी एसीईएस के माध्यम के कर सकता है। अधीक्षक भी निर्धारिती की ओर से अनंतिम निर्धारण अनुरोध फाइल कर सकता है। एसी/डीसी अनंतिम निर्धारण की आवश्यकता का पता लगाने के लिए अनुरोध की जांच करेगा और पीआरए मॉड्यूल में अनंतिम निर्धारण आदेश बनाएगा। वह बांड राशि और प्रतिभूति राशि भी विनिर्दिष्ट करेगा। यह अनंतिम निर्धारण आदेश को 6 महीनों के भीतर अंतिम रूप देना होता है। इस संबंध में निर्धारिती एक बी-2 बॉड फाइल करता है जो अधीक्षक द्वारा एसीईएस में प्रविष्ट और एसी/डीसी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अनंतिम निर्धारण के विस्तार की दशा में, पहली बार अतिरिक्त छह महीनों के लिए आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाता है और बाद में मुख्य आयुकत द्वारा और अनुमोदन एसीईएस द्वारा किया जाता है।

3.4.1 पीआरए मॉड्यूल की अल्प उपयोगिता

यह देखा गया कि आरंभ से जून 2014 तक, निर्धारितियों द्वारा पूरे भारत में केवल 337 (सीएक्स) और 2,450 (एसटी) और चयनित आयुक्तालयों में केवल 129 (सीएक्स) और 1,640 (एसटी) अनंतिम निर्धारण अनुरोध फाइल किए गए थे। ***तथापि, पीआरए मॉड्यूल द्वारा कोई भी अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप नहीं दिया गया था।***

जब हमने यह बताया (मई 2015), मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2015) कि अनंतिम निर्धारण मॉड्यूल की उपयोगिता निर्धारिती की आवश्यकता पर निर्भर करती है और वह आवश्यकता पर आधारित और वैकल्पिक होता है।

3.4.2 निष्कर्ष

निर्धारिती द्वारा इस मॉड्यूल की अनुपयोगिता यह दर्शाती है कि यह मॉड्यूल प्रयोक्ता मैत्रीपूर्ण नही है। आगे, मॉड्यूल में निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत अनुरोध एसीईएस द्वारा प्रसंस्कृत नहीं किया गया था जो कि विभागीय उपयोगकर्ता स्तर पर भी मॉड्यूल की गैर स्वीकृतिकी और संकेत करता है।

इस प्रकार एसीईएस में अनंतिम निर्धारण की फाइलिंग और प्रसंस्करण को उपयोगकर्ता मैत्रीपूर्ण बनाने की और निर्धारिती एवं विभाग के लिए अनिवार्य करने की आवश्यकता है।

3.5 निर्यात (इएक्सपी)

उत्पादक निर्यातक, श्रेष्ठी निर्यातक, निर्यात गोदाम और निर्यात अभिविन्यस्त इकाईयों का व्यवहार करने वाले चार प्रकार के निर्धारिती द्वारा निर्यात मॉड्यूल की प्रक्रिया क्रियान्वित की जाती है।

एक उत्पादक निर्यातक को एआरई-1 और एआरई-2 प्रपत्रों के साथ क्षेत्राधिकारी एसी/डीसी के साथ निर्मित और निर्यातिक माल के संबंध में इनपुट -आउटपुट अनुपात पर एसीईएस के माध्यम से एक घोषणा पत्र फाइल करने की आवश्यकता है। एक मरचेट निर्यातक को निर्यातों से संबंधित अभिक्षक के साथ सीटी-1 प्रमाण-पत्र, वेयर हाउसिंग का प्रमाण-पत्र (सीओडब्ल्यू) और एआरई-1 प्रपत्र फाइल करने की आवश्यकता है। एक निर्यात वेयरहाउस निर्यातक को निर्यातों के अभिक्षक के साथ सीटी-2 प्रमाण-पत्र और सीओडब्ल्यू फाइल करने की आवश्यकता है। ईओयू को निर्यातों के लिए सीटी-3 प्रमाण-पत्र, सीओडब्ल्यू, और एआरई-1 प्रपत्र फाइल करने की आवश्यकता है। निर्यात वेयरहाउस निर्यातक और ईओयू माल के डीटीए में पथांतरण के लिए एक प्रार्थना-पत्र भी फाइल कर सकता है।

सेवाओं के निर्यात की दशा में कोई निर्यात मॉड्यूल उपलब्ध नहीं था।

3.5.1 निर्यात मॉड्यूल की उपयोगिता

निम्न तालिका निर्यात मॉड्यूल की उपयोग को वर्णित करती है: -

तालिका संख्या 4

स्थिति	अवधि	एआरई-1	एआरई-2	सीटी-1	सीटी-2	सीटी-3	वेयरहाउसिंग का प्रमाण-पत्र	कुल
सम्पूर्ण भारत डाटा	2009-10 to 06/14	4,814	4	104	1	1	1	4,925
चयनित सीडीआर	2009-10 to 06/14	3,491	0	104	1	1	1	3,598

स्रोत: डीजी (सिस्टमस) द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा गया कि इसके प्रारंभ से जून 2014 तक सम्पूर्ण भारत और चयनित आयुक्तालयों में निर्धारितियों द्वारा 4,925 और 3,598 क्रमानुसार विभिन्न प्रपत्र एसीएस द्वारा फाइल किए गए थे। चूंकि डाटा में उपरोक्त प्रपत्रों पर की गई कार्रवाई का विवरण नहीं था, लेखापरीक्षा विभागीय उपयोगकर्ताओं के निष्पादन पर टिप्पणी की अवस्था में नहीं है।

डीजी (सिस्टमस) द्वारा प्रदत्त डाटा की विसतृत संवीक्षा ने दर्शाया कि 34 चयनित सीएक्स आयुक्तालयों में से 33 में, सीटी-1, सीटी-2, सीटी-3 और वेयरहाउसिंग प्रमाण-पत्र फाइल करने के लिए किसी भी उपयोगकर्ता ने इएक्सपी मॉड्यूल सुविधा का लाभ नहीं उठाया था। किसी भी चयनित आयुक्तालय में एआरई-।। प्रपत्र एसीईएस द्वारा फाइल नहीं किया गया था। इसी प्रकार, केवल 8 आयुक्तालयों में, एआरई-। प्रपत्र फाइल किया गया था। उपरोक्त डाटा दर्शाता है कि इस मॉड्यूल का उपयोग बहुत ही कम किया गया था।

जब हमने यह बताया (अगस्त 2015), मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2015) कि ईएक्सपी मॉड्यूल की उपयोगिता की मात्रा निर्धारिती की आवश्यकता और इच्छा पर आधारित होती है।

लेखापरीक्षा आगे सलाह देता है कि मंत्रालय इस मॉड्यूल की न्यून उपयोगिता के कारण का पता लगा सकता है और सुनिश्चित कर सकता है कि निर्यात दस्तावेजों के विवरण एसीईएस में रखे गए थे जो कि एक क्लिक पर ईओयूज

द्वारा डीटीए निकासी जैसे मुद्दों के दोबारा सत्यापन में विभाग की मदद करता है।

3.5.2 निष्कर्ष

इलैक्ट्रॉनिक फाइलिंग में अब भी भौतिक दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता है और विभिन्न विभागों के बीच तालमेल प्रदान नहीं करता है। यह सब इलैक्ट्रॉनिक फाइलिंग प्रक्रिया को एक अतिरिक्त/वैकल्पिक पद्धति बनाता है जिसका अन्यथा उपलब्ध हस्तचालित प्रसंस्करण में ध्यान रखा जा सकता था। परिणामस्वरूप, लगभग सभी आयुक्तालयों में ईएक्सपी मॉड्यूल की सकल न्यून उपयोगिता है।

अत: उन अवरोधों का पता लगाने और हटाने की आवश्यकता है जो कि निर्यात मॉड्यूल के उपयोग को रोकता है और तब निर्यात मॉड्यूल द्वारा निर्यात दस्तावेजों के प्रसंस्करण में निहित सभी गतिविधियों के समयबद्ध समापन और फाइलिंग को अनिवार्य करना चाहिए।

3.6 प्रतिदाय (आरईएफ)

प्रतिदाय मॉड्यूल में निर्धारिती के लिए प्रतिदाय/छूट के दावे फाइल करने का एक प्रावधान है और यह अधीक्षक के कार्यप्रवाह में दिखाई देता है जो संवीक्षा रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी करता है। संवीक्षा रिपोर्ट के साथ प्रतिदाय आवेदन एसी/डीसी को समीक्षा के लिए अग्रेषित किया जाता है। अनुमोदन के पश्चात् एसी/डीसी उक्त को अधीक्षक को वापस भेजता है। दावा प्राप्ति पर, अधीक्षक डीएसआर मॉड्यूल के उपयोग द्वारा प्रतिदाय/छूट के लिए जहॉ आवश्यक हो एक केस पोर्टफोलियो बनाता है और एसी/डीसी को प्रस्तुत करता है। जो प्रतिदाय आदेश को तैयार करता है और अनुमोदित करता है तथा प्रावधानों के अनुसार पूर्व-लेखापरीक्षा/पश्च लेखापरीक्षा के लिए अधीक्षक (लेखापरीक्षा सेल) को भेजता है। लेखापरीक्षा सेल का अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी एसी/डीसी, के द्वारा

जारी किये गये प्रतिदाय आदेश पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करता है और एसी/डीसी (लेखापरीक्षा) को प्रस्तुत करता है जो लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियां देता है।

3.6.1 प्रतिदाय मोड्यूल की उपयोगता

अग्रलिखित तालिका प्रतिदाय मोड्यूल के निष्पादन को दर्शाती है:-

तालिका संख्या 5

क्षेत्राधिकार	**सीएक्स**		**एसटी**	
	एसीईएस द्वारा फाईल किया गया प्रतिदाय अनुरोध	**एसीईएस द्वारा संसाधित प्रतिदाय अनुरोध**	**एसीईएस द्वारा फाईल किया गया प्रतिदाय अनुरोध**	**एसीईएस द्वारा संसाधित प्रतिदाय अनुरोध**
सपूर्ण भारत का डाटा	1,40,922	88,590	15,285	112
चयनित सीडीआरएस	22,394	10,875	5,530	105

स्रोत: डीजी (सिस्टम) द्वारा दिये गये आंकड़े

यह देखा गया कि इसके आरंभ से जून 2014 तक 1,40,922 (सीएक्स) और 15,285 (एससी) प्रतिदाय अनुरोध निर्धारितियों द्वारा एसीईएस के माध्यम से

फाईल किये गये थे। इनमें से, विभाग ने केवल 88,590 (62.86 प्रतिशत) और 112 (0.73 प्रतिशत) क्रमश: सीएक्स और एसटी प्रतिदाय ममले एसीईएस में प्रतिदाय मोड्यूल द्वारा प्रसंस्कृत किये।

यह भी अवलोकन किया कि इसके आरंभ से जून 2014 तक 23,394 (सीएक्स) और 10,875 (एसटी) प्रतिदाय अनुरोध चयनित सीडीआर में निर्धारितियों द्वारा एसीईएस के माध्यम से फाईल किये गये। इसमें से, विभाग ने केवल 5530 (24.69 प्रतिशत) और 105 (0.97 प्रतिशत) क्रमश: सीएक्स और एसटी प्रतिदाय मामले एसीईएस में प्रतिदाय मोड्यूल द्वारा प्रसंस्कृत किये।

इसी अवधि के दौरान, विभाग ने मैन्यूली चयनिति आयुक्तालयों में सीएक्स और एसटी के लिए के लिए क्रमश: 44,683 और 2,566 मामलों में प्रतिदाय संस्वीकृत किया।

उदाहरणार्य कुछ मामले नीचे दर्शाये गये हैं:-

(i) कोलकाता आयुक्तालय में, कोई प्रतिदाय आवेदन निर्धारितियों द्वारा एसीईएस के माध्यम से फाईल नहीं किया गया।

(ii) दिल्ली -।। (सीएक्स) आयुक्तालय के दो चयनित मंडलों में, विभाग द्वारा मैन्यूली प्रसंस्कृत प्रतिदाय आवेदन के 1,033 मामले थे। यद्यपि, केवल तीन प्रतिदाय आवेदन ही एसीईएस द्वारा प्राप्त किये गये थे।

(iii) 27 आयुक्तालयों में, 13,215 सीएक्स और एसटी प्रतिदाय आवेदन निर्धारिती द्वारा मोड्यूल में फाईल किये गये थे, विभागीय उपयोक्ता द्वारा कोई भी आवेदन प्रतिदाय मोड्यूल से प्रसंस्कृत नहीं किया गया था।

एसीईएस द्वारा प्रतिदाय आवेदन की प्राप्ति और निपटान (सितम्बर 2014 से मार्च 2015 के बीच) से संबंधित चयनित आयुक्तालयों से हमारे प्रश्नों के उत्तर में, बैंगलुरू-। आयुक्तालय ने कहा (जनवरी 2015) कि सभी निर्धारिती प्रचुर दस्तावेज, जिन्हें एसीईएस में निर्धारिती अपलोड नहीं कर पाते हैं, के कारण एसीईएस में प्रतिदाय आवेदन वर्तमान में नहीं भर रहे हैं।

जब हमने यह बताया (मई 2015), मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2015) कि लगभग 1.4 लाख प्रतिदाय दावे एसीईएस मे फ़ाइल किये गये और इनमे से

0.88 लाख एसीईएस मे प्रसंस्कृत किये गये। व्यक्तिगत मामलो पर मंत्रालय मौन है।

समीक्षावधि के दौरान निर्धारितियों द्वारा अनुरोध किये गये 10.5 लाख प्रतिदाय दावो के प्रति, एसीईएस मे केवल 1.56 लाख प्रतिदाय दावे (अर्थात 15 प्रतिशत) प्राप्त किये गये थे, जो इस मॉड्यूल का कम उपयोग दर्शाते हैं। मंत्रालय को उक्त के कारणों के विश्लेषण करने की आवश्यकता है।

3.6.2 निष्कर्ष

प्रतिदाय दावे के लिए निर्धारित की मैन्यूली प्राथमिकता यह दर्शाती है कि निर्धारितियों को ऑनलाइन प्रक्रिया जटिल लगती है।

एसीईएस में आवश्यक रूप से से निर्धारितियों द्वारा प्रतिदाय आवेदनो को भरना और विभागीय उपयोगकर्ताओ द्वारा उन पर कार्रवाई दोनों ही कार्य करने की आवश्यकता है। कागज रहित वातावरण और विभागीय अधिकारियों के साथ निर्धारितियों का हस्तक्षेप कम किये जाने के लिए एसीईएस द्वारा प्रतिदाय दावे भरने के लाभ के बारे मे विभाग निर्धारितियों को जागरूक कर सकता है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (अक्तूबर 2015) कि मैन्यूल फाइलिंग के कारणों में निर्धारितियों के बीच जागरूकता की कमी, संलग्न दस्तावेजों के आकार (दो एम बी से अधिक) आदि को शामिल किया जा सकता है। डीजी (सिस्टम) द्वारा इसके आधारभूत ढांचे तथा छमता में सुधार करने पर संलग्नक आकार को बढ़ाया जा सकता है। यधपि निर्धारितियों को शिक्षित करने के बारे में लेखापरीक्षा की सिफ़ारिशो और उपयोगकर्त्ताओं द्वारा सामना की जा रही किसी समस्या का निपटान, कार्यान्वयन के लिए ध्यान में रखे जाएंगे।

3.7 दावे और सूचना

एसीईएस दावे और सूचना मॉड्यूल, दावों को एलेक्ट्रोनिक रूप से फ़ाइल करना, निर्धारितियों द्वारा सूचना और आदेश और विभागीय अधिकारियों द्वारा उनका प्रसंस्करण शामिल होता है। यह आवेदनों और निर्धारितियों द्वारा दिये गये सूचना तथा फ़ाइल किये गये कुछ दावों (शुल्क में छूट, सेनवेट ट्रांसफर और एएसीआई छूट) के रूप में हो सकता है। यह मोड्यूल केवल सीएक्स के लिए उपलब्ध है एसटी के लिए नहीं।

3.7.1 सीएलआई मॉड्यूल की उपयोगिता

लेखापरीक्षा ने एसआरएस दस्तावेज़ में परिकल्पित प्रत्येक निर्धारिती द्वारा सीएलआई मॉड्यूल द्वारा फ़ाइल किये जाने वाले दावों और प्रज्ञापनों का विश्लेषण किया।

निर्धारिती को वार्षिक रूप से[13] चालानों के प्रयोग करने से पहले सीएक्स के क्षेत्राधिकारी अधीक्षक को इन चालानों की क्रम संख्या और चालान पुस्तिका की संख्या बताना होता है। इसका तात्पर्य है कि व्यापार में प्रत्येक निर्धारिती वार्षिक रूप से कम से कम एक ऐसा सूचना फ़ाइल करता है। एसीईएस चयनित सीडीआर के डाटा के विश्लेषण से पता चला कि 31 मार्च 2014 तक, 91,921 पंजीकृत निर्धारिती थे, जिन्हे यह वार्षिक सूचना फ़ाइल करने की आवश्यकता थी।

इसी प्रकार, पंजीकरण के बाद किसी निर्धारिती को सामान की प्राप्ति, खरीद, निर्माण, भंडार, बिक्री और सुपुर्दगी सहित इनपुट और पूंजीगत माल और इनपुट सेवाओं[14] की प्राप्ति, खरीद और भुगतान के संबंध में लेन-देनो के लेखांकन हेतु उसके द्वारा तैयार या अनुरक्षित किये गये सभी रिकॉर्डो की

---

[13] पूरक निर्देशों की उत्पाद शुल्क आबकारी केन्द्रीय बोर्ड मैन्युअल क 2005 के अध्याय 4 के पैरा 3.1 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 11 (6) के अनुसार

[14] पूरक निर्देशों की उत्पाद शुल्क आबकारी केन्द्रीय बोर्ड मैन्युअल क 2005 के अध्याय 6 के पैरा 2.1 के अनुसार

सूची प्रस्तुत करना भी अपेक्षित होता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक निर्धारिती को पंजीकरण के बाद कम से कम एक सूचना फ़ाइल करना चाहिए। चयनित सीडीआर के डाटा के विश्लेषण में यह पता चला कि 2013-14 के दौरान 9,544 नए निर्धारिती पंजीकृत किए गए थे जिन्हे यह एक बार कि सूचना देने की आवश्यकता है।

यधपि, हमने पाया कि चयनित सीडीआर में 1,01,465 वार्षिक और एकल सूचना की न्यूनतम आवश्यकता के प्रतिकूल 2013-14 के दौरान केवल 35,629 दावे और सूचना इलेक्ट्रोनिक रूप से फ़ाइल किये गये थे।

इसके अतिरिक्त, डीजी (सिस्टम) द्वारा उपलब्ध कराये गये पंजीकरण के सम्पूर्ण भारत के डाटा से पता चला कि 4.60 लाख पंजीकृत सीएक्स निर्धारिती हैं। यदि प्रति वर्ष प्रत्येक निर्धारिती से एक सूचना के न्यूनतम मानदंड को अपनाया जाये, तो निर्धारितियों से 2009-10 से 2013-14 के दौरान कम से कम 23 लाख सीएलआई होने चाहिए। यधपि, 2009-10 से 2013-14 के दौरान एसीईएस में प्राप्त सीएलआई केवल 2.76 लाख थे। यह दर्शाता है कि मॉड्यूल वैधानिक आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा सीएलआई मॉड्यूल में निर्धारितियों द्वारा प्रस्तुत किए गए डाटा पर की गई कार्रवाई को उपलब्ध नहीं कराया गया। अत: विभागीय स्तर पर इस मॉड्यूल की वास्तविक उपयोगिता का विश्लेषण नहीं किया जा सकता।

3.7.2 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने पाया कि एक अत्यंत साधारण मॉड्यूल होने के बावजूद, निर्धारिती/विभागीय उपयोगकर्ताओं द्वारा सीएलआई मॉड्यूल की उपयोगिता न्यूनतम है। यह दर्शाता है कि एसीईएस द्वारा दावों और प्रज्ञापनों को फ़ाइल करने के लिए विभाग द्वारा निर्धारीतियों को उपयुक्त रूप से नहीं समझाया गया था परिणामस्वरूप इस मॉड्यूल का उपयोग नहीं किया जा सका।

सिफ़ारिश संख्या 4

इलेक्ट्रोनिक फाइलिंग आवश्यक सूचनाओं जैसे चालान पुस्तिका, अभिलेख प्रबंधन के लिए आवश्यक बनाया जा सकता है और सीएलआई मॉड्यूल एसटी

के लिए भी आरंभ किया जा सकता है ताकि विभागीय अधिकारियों के साथ निर्धारितियों के इंटरफेस को कम किया जा सके।

मंत्रालय ने अपने उत्तर मे कहा (अक्तूबर 2015) कि सीएलआई मॉड्यूल की उपयोगिता निर्धारितियों पर आधारित होती है और कुछ आवश्यक सूचनाओं की अनिवार्य ई- फाइलिंग के लिए लेखापरीक्षा के सुझाव की कार्यान्वयन हेतु बोर्ड द्वारा जांच की जाएगी। एसटी के लिए सीएलआई मॉड्यूल के विस्तार और दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकतानुसार कुछ मॉड्यूल के विकास पर मौजूदा आधारभूत ढांचे को अधतन करने के बाद विचार किया जा सकता है।

3.8 रिपोर्ट (आरईपी)

सीएक्स और एसटी दोनों बिभागीय उपयोगकर्ताओं के लिए रिपोर्ट मॉड्यूल उपलब्ध है तथा 16 प्रकार की रिपोर्ट सीएक्स के संबंध में तैयार की जा सकती है तथा 8 प्रकार की रिपोर्ट के संबंध एसटी के संबंध मे तैयार की जा सकती है।

3.8.1 चयनित सीडीआर मे रिपोर्ट मॉड्यूल के कार्य की नमूना जांच के दौरान हमने अग्रलिखित कमियां देखी:-

(i) क्षेत्रीय स्तर पर विशिष्ट रूप से निर्मित रिपोर्टों को तैयार करने के लिए मॉड्यूल में कोई सुविधा नहीं है।

(ii) बोर्ड द्वारा मांगे गये रिपोर्ट के फॉर्मेट एसीईएस में तैयार किये गये फॉर्मेट से अलग थे। इसलिए एसीईएस द्वारा तैयार की गई कुछ रिपोर्ट आगे रिपोर्टिंग के लिए उपयोगी नहीं थी और इस प्रकार, इन रिपोर्टों को मैन्यूली समेकित किया गया था।

(iii) मासिक तकनीकी रिपोर्ट (एमटीआर) में रिपोर्ट किये जाने वाली सभी सूचना एसीईएस मे उपलब्ध है क्योकि सारा कार्य एसीईएस द्वारा किया जाता है। परंतु चयनित सीडीआर में उपयोगकर्ता मैन्यूली एमटीआर रिपोर्ट तैयार कर रहे थे क्योकि निर्धारित एमटीआर फॉर्मेट एसीईएस में उपलब्ध नहीं है। एसीइएस के डाटा के साथ एमटीआर

द्वारा प्रगति रिपोर्ट की सूचना के सत्यापन के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

(iv) एलटीयू आयुक्तालयों का नाम एसीइएस के रिपोर्टिंग मॉड्यूल में मौजूद नही है।

3.8.2 कोलकाता III आयुकतालय में, हमने पाया कि सिस्टम द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए सृजित "एसएसआई और गैर एसएसआई और अन्य इकाइयों से राजस्व पर रिपोर्ट मे अग्रलिखित पता चला:-

तालिका संख्या 6

इकाइयों की कुल संख्या	4,605
गैर एसएसआई इकाइयों की कुल संख्या	24,518
एसएसआई शुल्क अदा करने वाली इकाइयों की कुल संख्या	979
छूट उपयोग करने वाली एसएसआई इकाइयों की कुल संख्या	0
₹ एक करोड़ से अधिक पीएलए देने वाली इकाइयों की कुल संख्या	41
ईओयू की कुल संख्या	20
एसटीपी इकाइयों की कुल संख्या	1

तालिका से यह स्पष्ट है के 24,518 गैर एसएसआई इकाइयों की कुल संख्या एक जंक डाटा है क्योंकि यह आयुक्तालय की इकाइयों की कुल संख्या (4,605) से अधिक है। इस प्रकार सिस्टम में कई त्रुटियाँ और वैधता कमियाँ पाई गई।

जब हमने यह बताया (दिसंबर 2014), विभाग ने कहा (दिसंबर 2014) कि डीजी (सिस्टम) इससे अवगत था और एक नया एमआईएस रिपोर्ट मॉड्यूल प्रक्रियाधीन है।

सिफ़ारिश संख्या 5

मैन्युअल रिपोर्टिंग तथा रिपोर्ट संबन्धित त्रुटियों को कम करने के लिए समान्यत: विशेष रूप से तैयार रिपोर्टों को बनाने के लिए तथा विशेष रूप से एमटीआर क्षेत्रीय स्तर पर एसीईएस में प्रावधान जोड़ा जा सकता है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (अक्तूबर 2015) कि जब तक सभी मॉड्यूलों में डाटा की पूर्णता और सटीकता को सुनिश्चित नहीं किया जाता, एसीईएस में तैयार की गई रिपोर्ट पूर्ण नहीं होगी। एसीईएस के सभी मॉड्यूल का प्रयोग करने के लिय निर्धारितीयों को प्रेरित करना और सहमत करना ही इसका उपचार है ताकि सिस्टम में संगत डाटा प्राप्त किया जा सके। इसमें व्यापार क्षेत्र से परामर्श के बाद कार्य के कुछ क्षेत्रो में व्यापार प्रक्रिया पुन: अभियांत्रिकी की आवश्यकता भी हो सकती है।

लेखापरीक्षा का विचार है कि क्योंकि पाँच वर्षो से अधिक अवधि से एसीईएस कार्यान्वन के अंतर्गत है, सभी मॉड्यूलों को संचालन योग्य बनाने के लिए और एसीईएस से अपेक्षित एमआईएस तैयार करने के लिय भी सिस्टम पुनर्गमन/अघतन करने की आवश्यकता है।

3.9 विवाद समाधान प्रस्ताव (डीएसआर)

एसीइएस आवेदन विवाद मामला फ़ाइल, जिसे केस पोर्टफोलियो कहा जाता है; में मामले का सार, और शामिल अनुमानित ड्यूटी, स्त्रोत दस्तावेज़ संख्या आदि होते हैं। केस पोर्टफोलियो मांग टिप्पण, कारण बताओ ज्ञापन (एससीएन) आदि के जारी करने से पहले तैयार किया जाता है। मांग टिप्पण अधिक्षक द्वारा तैयार किये जाते है। निर्धारिती एसीइएस द्वारा या मैन्यूली मांग टिप्पण का उत्तर दे सकते है।

यदि निर्धारिती मॉग पत्र पर मैनुअली उत्तर देता है, अधीक्षक को एसीईएस में उत्तर को संग्रहित करना पड़ता है। मॉग पत्र और निर्धारिती के उत्तर, यदि कोई हों, तो उसके आधार पर अधीक्षक एक ड्रॉफ्ट एससीएन बनाएगा। वह मॉग-पत्र जारी किए बिना भी ड्रॉफ्ट एससीएन बना सकता है। उपरोक्त के अलावा अधीक्षक-निर्धारिती से बकाए की वसूली के लिए वसूली अनुरोध कर सकता है, किसी गैर-वसूल योग्य बकाए के मामले में अनुरोध कर सकता है, किसी गैर-वसूलीयोग्य बकाए के मामले में अनुरोध खारिज कर सकता है, मामले के निपटान आदि के मामले में मामला निपटान रिपोर्ट बना सकता है।

एसी/डीसी ड्रॉफ्ट एससीएन को मंजूर कर सकते हैं। वह सभी पीएच के मामले में एसीईएस के माध्यम से व्यक्तिगत सुनवाई (पीएच) ज्ञापन बना सकता है। वह ऐसे सभी मामलों में मूल आदेश (ओआईओ) भी जारी कर सकता है, जहॉ ओआईओ जारी कर दिया गया हो और इसे आयुक्तालय के समीक्षा सेल में अग्रेषित कर सकता है। यदि एक बार ओआईओ जारी कर दिया जाता है तो आयुक्तालय/मुख्य आयुक्तालय (सीसी) का समीक्षा सेल आदेश की समीक्षा कर सकता है। समीक्षा सेल की सिफारिशों के आधार पर आयुक्त अथवा सीसी ओआईओ के विरूद्ध एक अपील फाईल करने हेतु क्षेत्राधिकारी अधिकारी अथवा किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी को निर्देश देते हुए एक समीक्षा आदेश पारित करेगा।

असंतुष्ट पक्ष विभाग द्वारा आदेश के विरूद्ध अपील कर सकते हैं। यदि निर्धारिती या विभागीय कर्मचारी क्षेत्राधिकारी प्राधिकारी का आदेश नहीं मानता है तो वे ओआईओ के विरूद्ध अपील कर सकते हैं। ईए-2 अपील एसी/डीसी द्वारा की जाती है और इस पर आयुक्त की मंजूरी आवश्यक है। आयुक्त (अपील), एसीईएस के माध्यम से अपील प्राप्त करेगा और इस अपील में आदेश पारित करेगा। अपील में आदेश जारी करने से पूर्व वह मामले में व्यक्तिगत सुनवाई करेगा। तिथि और समय निर्धारित करने के लिए उसे एसीईएस के माध्यम से व्यक्तिगत सुनवाई ज्ञापन बनाना आवश्यक है। आयुक्त (अपील) द्वारा आदेश के प्रति सीईएसटीएटी में आवेदन दाखिल करने हेतु आयुक्त एसीईएस में अपील ईए-5 फार्म बनाएगा।

3.9.1 डीएसआर माड्यूल का उपयोग

यह देखा गया कि जून 2014 के शुरूआत से एसीईएस के माध्यम से केवल 10,277 एससीएन बनाए गए थे, 6,161 एससीएन जारी किए गए थे और सम्पूर्ण भारत में 3,785 मूल आदेश जारी किए गए थे।

निम्नलिखित तालिका चयनित आयुक्तालयों में डीएसआर माड्यूल का उपयोग दर्शाता है:-

तालिका संख्या 7

	सृजित एससीएन	**जारी एससीएन**	**जारी ओआईओ**
केन्द्रीय उत्पाद	5,737	4,013	2,938
सेवा कर	297	231	96
कुल	6,034	4,244	3,034

स्रोत: डीजी (सिस्टम्स) द्वारा दिए गए आंकड़े

बनाए गए एससीएन, जारी किए गए एससीएन और मैनुअली जारी किए गए ओआईओ लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। अत: लेखापरीक्षा में सम्पूर्ण कार्यभार के संदर्भ में डीएसआर माड्यूल उपयोग की गणना नहीं की जा सकी।

यह देखा गया कि 40 चयनित आयुक्तालयों में से 12 आयुक्तालयों में कोई भी एससीएन नहीं बनाये गए थे, 16 आयुक्तालयों में कोई एससीएन नहीं जारी किए गए थे और 26 आयुक्तालयों में एसीईएस के माध्यम से कोई भी ओआईओ नहीं जारी किए गए थे।

यह देखा गया कि विभागीय प्रयोगकर्ताओं द्वारा डीएसआर माडयूल का उपयोग बहुत धीमा था। यहॉ तक कि ऐसे मामलों में भी जहॉ डीएसआर में निहत प्रक्रिया प्रयोकर्ताओं द्वारा डीएसआर माडयूल में भी शुरू की गई थी, बाद में इसे मैनुअली किया जाने लगा जैसाकि बनाए गए एससीएन और जारी एससीएन की संख्या और एसीईएस में बनाए गए एससीएन और ओआईओ की संख्या में अंतर से स्पष्ट है।

3.9.2 निष्कर्ष

डीएसआर माड्यूल के स्वचालन के बावजूद विभागीय अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर के अभाव में हाथ से हस्ताक्षर किए हुए दस्तावेजों की अभी भी

अनिवार्य आवश्यकता है। प्रणाली में अत्यधिक संख्या में दस्तावेज अपलोड करने में भी प्रतिबंध है।

लेखापरीक्षा अनुभव करती है कि माड्यूल के डिजाइन की इस माड्यूल का प्रयोग करने वाले अधिकारियों से निष्कर्षों के साथ फिर से जॉच की जाए और स्वीकार्यता में वृद्धि के लिए समस्याओं का निवारण किया जाए।

जब हमने इसे बताया (जनवरी 2015), मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2015) कि डीजी (सिस्टम्स) ने एक अध्ययन किया है और निष्कर्षों के आधार पर अपेक्षित संशोधन किया जाएगा, जब आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया जाएगा और नए वेंडर एसीईएस परियोजना का प्रभार ले लेंगे। प्रयोग में सुधार किया जा सकता है यदि इसके प्रयोग को अनिवार्य बना दिया जाए।

3.10 लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा सेल लेखापरीक्षा योजना, आवंटन, समन्वय, निगरानी और मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी है। लेखापरीक्षा सेल लेखापरीक्षा विंग के प्रत्येक नियुक्त अधिकारी के प्रोफाइल का भी अनुरक्षण करता है। एसीईएस लेखापरीक्षा माड्यूल में जैसे ही एक अधिकारी लेखापरीक्षा विंग में ज्वाइन करता है तो सहायक आयुक्त (लेखापरीक्षा विंग) (एसीएडब्ल्यू) को उस अधिकारी की ज्वाइनिंग रिपोर्ट बनाने के साथ-साथ रिपोर्टिंग अधिकारी को लेखापरीक्षा सेल या लेखापरीक्षा दल या संसाधन पूल द्वारा इसका पूर्णत: अनुमोदन किया जाता है।

एसीएडब्ल्यू द्वारा एक लेखापरीक्षा दल बनायी जाए और इस पर एसीईएस में संयुक्त आयुक्त (लेखापरीक्षा विंग) (जेसीएडब्ल्यू) द्वारा अनुमोदन दिया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा योजना पंजिका: इस माड्यूल में एक लेखापरीक्षा योजना पंजिका बनाने और एसीएडब्ल्यू द्वारा एपीआर से चालू वित्तीय वर्ष में लेखापरीक्षा की जाने वाली इकाइयों के चयन का प्रावधान है।

अनुमोदित एपीआर, लेखापरीक्षा की शुरूआती और समाप्ति तिथियों से लेखापरीक्षा दलों को इकाई के आवंटन के लिए एसीएडब्ल्यू द्वारा तिमाही कार्यक्रम पर मंजूरी देगा।

लेखापरीक्षा आयोजित करने के पूर्व, लेखापरीक्षा करने वाले लेखापरीक्षक को एक लेखापरीक्षा योजना बनानी पड़ती है और जेसीएडब्ल्यू द्वारा इस पर मंजूरी लेनी पड़ती है। लेखापरीक्षा योजना बनाने हेतु डेस्क समीक्षा, राजस्व जोखिम विश्लेषण, रूझान विश्लेषण, वित्तीय एवं कर संगणना आदि जैसे विवरणों को पहले फीड किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा समाप्ति के पश्चात् एक ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (डीएआर) बनाया जाए और इसे एसीईएस के माध्यम से मंजूरी दी जानी चाहिए।

सभी अनुमोदित डीएआरज की पुनरीक्षा पुनरीक्ष डीएआरज के माध्यम से मॉनीटरिंग समिति द्वारा की जाएगी। मॉनीटरिंग समिति फिर डीएआर के संबंध में लेखापरीक्षा स्केरिंग प्रदान करेगी। लेखापरीक्षा स्कोरिंग के समापन पर एक अन्तिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट अपने आप से सृजित होगी।

लेखापरीक्षा माड्यूल की कार्य-प्रणाली

एसीईएस माड्यूल की जॉच के दौरान यह देखा गया कि कुछ क्षेत्रों में मैनुअल प्रणाली को एकदम से समाप्त करने के लिए माड्यूल में सरल कम्प्यूटरीकृत संस्करण के प्रावधान थे और उपयोगिता अनुपात पर बहुत धीमे थे। एक निर्धारित इकाई की लेखापरीक्षा शुरू करने के पहले कार्य में 11 चरण शामिल हैं और लेखापरीक्षा का वास्तविक कार्य शुरू करने से पूर्व प्रत्येक चरण में 3 से 18 अलग-अलग फार्म भरे जाते हैं।

लेखापरीक्षा माड्यूल के एसआरएस दस्तावेज की नमूना जॉच के दौरान और विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखापरीक्षा माड्यूल की कार्य प्रणाली/कार्यों के मद्देनजर निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई:-

3.10.1 लेखापरीक्षा का प्रोफाइल बनाना/अनुरक्षण करना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा नियमावली, 2008 के पैरा 3.2.2 के अनुसार लेखापरीक्षा सेल को प्रत्येक लेखापरीक्षक का प्रोफाइल रखना चाहिए जिसमें अधिकारी की विशेषज्ञता, का उल्लेख करना चाहिए, यदि कोई हो।

अधिकारी के प्रोफाइल अनुरक्षण (एयूडी 02 और एसटीएक्स 17) से संबंधित सीएक्स और एसटी के एसआरएस दस्तावेज की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि ज्वाइनिंग रिपोर्ट में प्रदान की गई सूचना के आधार पर प्रणाली द्वारा स्वचालित प्रोफाईल बनाने और लेखापरीक्षा सेल प्रशासन द्वारा लेखापरीक्षक का प्रोफाईल बनाने/संशोधन करने का प्रावधान है। इसी प्रकार, चाहे यह प्रावधान हो या न हो, इसकी जॉच की जानी चाहिए चूँकि लेखापरीक्षा माड्यूल के कार्य के नमूना जॉच के दौरान यह देखा गया कि न तो लेखापरीक्षा सेल में तैनात अधिकारियों को एक्सेस प्रदान किया गया था, न ही आयुक्तालय स्तर के कार्यालयों में लेखापरीक्षा माड्यूल कार्य करते हुए पाए गए।

जब हमने इसे बताया (मार्च 2015), मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि लेखापरीक्षा माड्यूल का एसआरएस डीजी लेखापरीक्षा के अधिकारियों के सूक्ष्म पर्यवेक्षण के तहत बनाया जा रहा था और माड्यूल के पश्चात् डीजी लेखापरीक्षा के अधिकारियों द्वारा इसकी जॉच की गई थी और इसे एसआरएस के अनुरूप प्रमाणित किया गया था। कुछ आयुक्तालयों में प्रयोगकर्ताओं ने इसे पास ईए 2000[15] प्रक्रिया के अनुरूप पाया है और आगे बताया कि प्रत्येक आयुक्तालय में कॉम-प्रशासन आवश्यकतानुसार प्रयोगकर्ताओं को सक्रिय करता है और एसीईएस की भूमिका प्रदान करता है।

3.10.2 लेखापरीक्षा माड्यूल की उपयोगिता/क्रियाशीलता

चयनित आयुक्तालयों से इस माड्यूल की उपयोगिता की जॉच पर नौ[16] आयुक्तालयों ने कहा (सितम्बर 2014 और जनवरी 2015) कि लेखापरीक्षा माड्यूल सक्रिय/क्रियाशील नहीं पाया गया। दो आयुक्तालयों[17] ने कहा (नवम्बर 2014 और जनवरी 2015) कि हालांकि लेखापरीक्षा माड्यूल क्रियाशील पाए

---

[15] उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा (ईए) 2000, निर्धारिती के व्यवसायी अभिलेखा की संवीक्षा के आधार पर लेखापरीक्षा है

[16] अहमदाबाद-।।, अहमदाबाद (एसटी), बोलपुर, दिल्ली -।। (सीएक्स), दिल्ली (एलटीयू), गुवाहाटी, जपयुर-।, कोलकाता -। (एसटी) और सूरत-।।

[17] दिल्ली-।। (एसटी) और वड़ोदरा-।।

गए लेकिन समुचित जानकारी और प्रशिक्षण के अभाव में उनके द्वारा इसका उपयोग नहीं किया गया था।

जब हमने यह बताया (मई 2015), मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि लेखापरीक्षा आयुक्तालयों और लेखापरीक्षा सेल के अधिकारियों की नई कार्यप्रणाली पर जानकारी और प्रशिक्षण दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। सभी आयुक्तालयों को विस्तृत लेखापरीक्षा प्रक्रिया परिचालित की गयी है। डीजीएस चेन्नई इकाई ने कॉनकाल/सेवा डेस्क के माध्यम से कई लेखापरीक्षा आयुक्तालयों के कार्य की निष्पादन किया है।

मंत्रालय के दावे के बावजूद कि लेखापरीक्षा माड्यूल क्रियाशील है, डीजी (लेखापरीक्षा) द्वारा पूर्णत: सत्यापित था और स्टॉफ को प्रशिक्षण दिया गया था, चयनित 40 आयुक्तालयों ने कहा कि या तो लेखापरीक्षा माड्यूल सक्रिय/क्रियाशील नहीं था अथवा समुचित जानकारी और प्रशिक्षण के अभाव में उनके द्वारा इसका उपयोग नहीं किया गया था।

3.10.3 निष्कर्ष

प्राथमिक अवलोकन में पता चला कि इस माड्यूल का उपयोग डिजाइन अवयवों के कारण नहीं हो सकता जो सम्पूर्ण मैनुअल प्रक्रियाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में करने की आवश्यकता है।

विभाग अन्य माड्यूलों, (अर्थात् निर्धारितियों पर जानकारी) से स्वचालित रूप से सूचना लेते हुए माड्यूल की संरचना में बदलाव कर सकता है जो डेस्क समीक्षा ऑनलाइन बनाने और इसे सरल और प्रयोगकर्ता के अनुरूप बनाने में लेखापरीक्षा दल की सहायता करेगा।

3.11 माड्यूल पर सामान्य निष्कर्ष

लेखापरीक्षा का मत है कि केवल तीन माड्यूल अर्थात एसीएल, पंजीकरण और रिटर्न माड्यूल का वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है।

सिफारिश संख्या 6

एसीईएस के कार्यान्वयन के पॉच वर्ष से अधिक समय बीत होने और विभाग/निर्धारितियों द्वारा पीआरए, इएक्सपी, आरईएफ, सीएलआई, डीएसआर और एयूडी माड्यूल के बहुत धीमे/आंशिक उपयोग को देखते हुए विभाग सभी माड्यूल की उपयोगिता की समीक्षा करे और प्रणाली को प्रयोगकर्ता के अनुरूप और परिणामोन्मुख बनाने हेतु बाधाओं को समाप्त करे।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2015) कि माड्यूल के उपयोग के संबंध में चूँकि कई मॉड्यूलों का उपयोग बोर्ड द्वारा अनिवार्य नहीं बनाया गया है इसलिए इन माड्यूल का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। माड्यूल में आवश्यक संशोधन करने, और आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद बोर्ड द्वारा माड्यूल का उपयोग अनिवार्य बनाया जाएगा ताकि प्रणाली प्रभावी और दक्ष तरीके से कार्य कर सके।